

1 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 750/2013

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 750/2013

संस्थापित दिनांक 20/09/2013

फाईलिंग नम्बर 230303009192013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-
एण्डोरी, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. प्रदीप सिंह पुत्र राजाराम सिंह कुशवाह उम्र 28 वर्ष
 2. लक्ष्मणसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह कुशवाह उम्र 20 वर्ष
 3. गोविन्द सिंह पुत्र परसोत्तम सिंह कुशवाह उम्र 22 वर्ष
- निवासीगण- ग्राम मनोहरपुरा, गोहद जिला भिण्ड, म0प्र0

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा- 294, 506 भाग-2, 341 एवं 325 भा0द0स0)
(राज्य द्वारा एडीपीओ-श्री प्रवीण सिकरवार।)
(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता-श्री एम0एस0 यादव।)

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 17.04.2017 को घोषित)

आरोपीगण पर दिनांक 22.05.13 को रात्रि करीबन 10 बजे पप्पू काछी के घर के बाहर ग्राम मनोहरपुरा में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी फेरन एवं आहत पप्पू को मां-बहन की अश्लील गालियां देकर उन्हें व सुननेवालों को क्षोभ कारित करने एवं फरियादी फेरन एवं आहत पप्पू को जान से मारने की धमकी देकर उन्हें आपराधिक अभिप्रास कारित करने एवं फरियादी फेरन एवं आहत पप्पू को उनकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर उनका सदोष अवरोध कारित करने एवं उसी समय आहत पप्पू की लाठी से मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित करने हेतु भा0द0स0 की धारा 294, 506 भाग-2, 341 एवं 325 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 22.05.13 को रात्रि करीबन 10 बजे फरियादी फेरन अपने घर पर था तभी उसके छोटे भाई पप्पू काछी का लड़का तिलक सिंह उम्र 13 वर्ष ने जाकर उसे बताया था कि उसके घर के बाहर उसके पिता पप्पू काछी को आरोपी प्रदीप, लक्ष्मण एवं पुरुषोत्तम का बड़ा लड़का लाठियों से मार रहे हैं तो वह दौड़कर अपने भाई के घर आया था तो उसने

देखा कि उसका भाई जमीन पर पड़ा था एवं उसके सिर, बाएँ पैर, जाँघ में लाठियों की चोटें थी। पप्पू बोल नहीं पा रहा था। तब वह अपने भाई को लेकर रिपोर्ट करने गया था तो रास्ते में आरोपीगण ने उसका रास्ता रोक लिया था एवं उसे जान से मारने की धमकी दी थी फिर उसने अपने भाई को लेकर घटना के दूसरे दिन रिपोर्ट की थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना एण्डोरी में अपराध क्रमांक 42/13 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

4. द0प्र0स0की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वे निर्दोष हैं उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 22.05.13 को रात्रि करीबन 10 बजे पप्पू काछी के घर के बाहर ग्राम मनोहरपुरा में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी फेरन एवं आहत पप्पू को मां-बहन की अश्लील गालियां देकर उन्हें व सुननेवालों को क्षोभ कारित किया?
2. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी फेरन एवं आहत पप्पू को उनकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर उनका सदोष अवरोध कारित किया?
3. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी फेरन व आहत पप्पू को जान से मारने की धमकी देकर उन्हें आपराधिक अभित्रास कारित किया?
4. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर आहत पप्पू की लाठी से मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी फेरनसिंह आ0सा01, तिलकसिंह आ0सा02, पप्पू कुशवाह आ0सा03, श्रीमती सोनाबाई आ0सा04, डॉ0 धीरज गुप्ता आ0सा05, ज्योति आ0सा06, आदित्य श्रीवास्तव आ0सा07 एवं नायकसिंह भदौरिया आ0सा0 8 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी फेरनसिंह आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन आरोपी प्रदीप, लक्ष्मण एवं गोबिन्द ने उसके भाई पप्पू की लाठियों से मारपीट की थी। जब वे रिपोर्ट करने जा रहे थे तो आरोपीगण ने मां-बहन की गालियां दी थीं। आहत पप्पू आ0सा0 3 एवं साक्षी तिलक सिंह आ0सा0 2, सोनाबाई आ0सा0 4 एवं ज्योति आ0सा0 6 द्वारा उक्त बिंदु पर कोई कथन नहीं किया गया है।

08. इस प्रकार फरियादी फेरन आ0सा0 1 ने अपने कथन में आरोपी द्वारा मां-बहन की गालियां दिया जाना तो बताया है, परंतु यह बात स्वयं आहत पप्पू आ0सा0 3 द्वारा नहीं बताई गई है न ही साक्षी तिलक सिंह आ0सा0 2, सोनाबाई आ0सा0 4 एवं ज्योति आ0सा0 6 द्वारा उक्त बिंदु पर कोई कथन

3 अपराधिक प्रकरण क्रमांक 750/2013

किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि फरियादी फेरन अ०सा० 1 ने अपने कथन में सभी आरोपीगण द्वारा मां-बहन की गालियां दिया जाना तो बताया है, परंतु यह नहीं बताया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने कौन से अश्लील शब्द उच्चारित किये थे, जिन्हें सुनकर उन्हें क्षोभ कारित हुआ था। जहां कई आरोपीगण पर गालियां देने का आरोप है वहां फरियादी का मात्र यह कह देना पर्याप्त नहीं होगा कि सभी आरोपीगण ने गालियां दी थीं। साक्ष्य प्रत्येक आरोपी के विरुद्ध विनिर्दिष्ट स्वरूप की होनी चाहिए। सभी आरोपीगण के विरुद्ध सामान्य स्वरूप की साक्ष्य स्वीकार योग्य नहीं होगी।

09. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी फेरन अ०सा० 1 ने सभी आरोपीगण द्वारा मां-बहन की गालियां दिया जाना तो बताया है, परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने कौन से अश्लील शब्द उच्चारित किए थे, जिन्हें सुनकर उन्हें क्षोभ कारित हुआ था। ऐसी स्थिति में भा०द०सं० की धारा 294 के संगठक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भा०द०सं० की धारा 294 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2

10. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आहत पप्पू कुशवाह अ०सा० 3 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह थाने पर रिपोर्ट करने जा रहा था तो आरोपीगण ने रास्ते में घेर लिया था और धौष-धपट दी थी एवं कहा था कि रिपोर्ट करने गया तो जान से मार देंगे। साक्षी ज्योति अ०सा० 6 द्वारा उक्त बिंदु पर अपने मुख्य परीक्षण में कोई कथन नहीं किया गया है, परंतु जब उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किया गया है तो उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया गया है कि उसके चाचा पप्पू रिपोर्ट करने जा रहे थे तो आरोपीगण ने उनका रास्ता रोक लिया था। फरियादी फेरन सिंह अ०सा० 1 एवं तिलक सिंह अ०सा० 2 तथा सोनाबाई अ०सा० 4 द्वारा उक्त बिंदु पर कोई कथन नहीं दिया गया है।

11. इस प्रकार आहत पप्पू अ०सा० 3 एवं ज्योति अ०सा० 6 ने आरोपीगण द्वारा रास्ता रोक लेना बताया है, परंतु यह बात फरियादी फेरन सिंह अ०सा० 1, तिलकसिंह अ०सा० 2 एवं सोना बाई अ०सा० 4 द्वारा नहीं बताई गई है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर आहत पप्पू अ०सा० 3 एवं ज्योति अ०सा० 6 के कथन फरियादी फेरनसिंह अ०सा० 1, तिलकसिंह अ०सा० 2 एवं सोनाबाई अ०सा० 4 के कथनों से परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि आहत पप्पू कुशवाह अ०सा० 3 ने अपने कथन में यह बताया है कि जब वह रिपोर्ट करने जा रहा था तो आरोपीगण ने उन्हें रास्ते में घेर लिया था, परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आरोपीगण ने उन्हें किन साधनों से रोका था। जिससे वह अपनी इच्छित दिशा में जाने से बाधित हो गया था। ऐसी स्थिति में भा०द०सं० की धारा 341 के संगठक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भा०द०सं० की धारा 341 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3

12. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी फेरन सिंह अ०सा० 1 ने अपने मुख्य परीक्षण में कोई कथन नहीं किया है, परंतु जब उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किया गया है तो उक्त साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि आरोपीगण ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। आहत पप्पू कुशवाह अ०सा० 3 सोनाबाई अ०सा० 4 ने भी आरोपीगण द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी देना बताया है। साक्षी ज्योति अ०सा० 6 ने भी अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उसके चाचा पप्पू को जान से मारने की धमकी दी थी।

13. इस प्रकार फरियादी फेरन अ०सा० 1, आहत पप्पू अ०सा० 3 एवं साक्षी सोनाबाई अ०सा०

4 तथा ज्योति अ०सा० 6 ने सभी आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दी थी बताया है, परंतु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने क्या कहा था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भा०द०सं० की धारा 506 भाग 2 को प्रमाणित होने के लिए यह आवश्यक है कि आरोपीगण द्वारा दी गई धमकी वास्तविक हो एवं उसे सुनकर फरियादी को भय अथवा अभित्रास कारित हुआ हो। मात्र क्षणिक आवेश में दी गई तुच्छ धमकियों से भा०द०सं० की धारा 506 भाग 2 का अपराध गठित नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी फेरन अ०सा० 1 आहत पप्पू अ०सा० 3 सोना बाई अ०सा० 4 एवं ज्योति अ०सा० 6 ने सभी आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना तो बताया है परंतु यह नहीं बताया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने कौन से शब्द उच्चारित किए थे एवं यह भी नहीं बताया है कि आरोपीगण द्वारा दी गई धमकियों को सुनकर उन्हें भय अथवा अभित्रास कारित हुआ ऐसी स्थिति में भा०द०सं० की धारा 506 भाग 2 के संगठक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भा०द०सं० की धारा 506 भाग- 2 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 4

14. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी फेरन सिंह अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो साल पहले शाम के 9 बजे की है। झगड़े के समय वह अपने घर पर था उसका भतीजा तिलकसिंह उसे बुलाने आया था तो उसने जाकर पप्पू को उठाया था। उसका बोल बंद था फिर वह पप्पू को लेकर थाने गया था सुबह 9 या 10 बजे रिपोर्ट हुई थी। प्रदीप लक्ष्मण एवं पुरुषोत्तम के लड़के ने पप्पू की लाठियों से मारपीट की थी। उसने थाने में रिपोर्ट की थी जो प्र०पी० 1 है जिस पर उसने निशानी अंगूठा लगाया था। नक्शामौका उसके सामने नहीं बनाया गया था। नक्शामौका प्र०पी० 2 है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक तीन में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था, उसे तो लड़का बुलाकर ले गया था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आहत पप्पू ने उसे घटना के बारे में कुछ नहीं बताया था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह रात को न तो पप्पू को इलाज के लिए ले गया था और न ही उसने रिपोर्ट लिखाई थी।

15. आहत पप्पू कुशवाह अ०सा० 3 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 2 साल पहले रात्रि 10 बजे की है। वह अपने दरवाजे पर लेटने आ रहा था। तो तीनों लोग आकर उसकी लाठियों से मारपीट करने लगे थे जिससे उसके सिर में चोट आई थी। उसका बोल बंद हो गया था। फिर उसका बच्चा उसके भाई को बुलाने गया था। फिर वह उसे उठाकर थाने ले जा रहा था तो आरोपीगण ने उसे रास्ते में घेर लिया था एवं धोष-धपट दी थी। फिर वह सुबह 10 बजे रिपोर्ट करने गए थे। इसके बाद में दवाई के लिए गोहद अस्पताल आया था। वहां पर फायदा नहीं हुआ तो उसे ग्वालियर रेफर कर दिया था। ग्वालियर में उसका इलाज हुआ था। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि जब उसके बच्चे किरन एवं ज्योति मौजूद थे एवं यह भी व्यक्त किया है कि घटना की रिपोर्ट उसने की थी पुलिसवालों ने रिपोर्ट उसे पढ़कर सुनाई थी एवं उसके रिपोर्ट पर हस्ताक्षर भी कराए थे। वह सुबह 10 बजे रिपोर्ट करने थाने पर गया था। उसका गोहद अस्पताल में 1 बजे इलाज हुआ था। वह दो दिन गोहद अस्पताल में भर्ती रहा था इसके बाद उसे ग्वालियर अस्पताल में भेजा था।

16. साक्षी तिलकसिंह अ०सा० 2, सोनाबाई अ०सा० 4 एवं ज्योति अ०सा० 6 ने भी आरोपीगण द्वारा पप्पू की मारपीट किए जाने वास्तविक प्रकटीकरण किया है।

17. डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा० 5 ने प्र०पी० 4 की चिकित्सीय रिपोर्ट को प्रमाणित करते हुए

व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 23.05.13 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोहद में थाना एण्डोरी के आरक्षक देवेन्द्र सिंह द्वारा लाए जाने पर आहत पप्पू का चिकित्सीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने पप्पू की शरीर में तीन चोटें पाई थीं, जिनमें से चोट क्रमांक 1 बाईं जांघ पर गूमड़ा चोट क्रमांक 2 सिर में बाईं तरफ गूमड़ा एवं चोट क्रमांक 3 बायें कान पर सूजन स्थित थी। आहत को बोलने में परेशानी हो रही थी इसलिए उसने आहत को ग्वालियर रेफर किया था। उसके मतानुसार उक्त चोटें सख्त एवं भौथरी वस्तु से आना संभावित थी जो उसकी परीक्षण अवधि के पूर्व 0 से 6 घण्टे की अंदर की थी। उसकी रिपोर्ट प्र०पी० 4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने उक्त दिनांक को ही आहत की बायीं जांघ का एक्सरे परीक्षण किया था। परीक्षण के दौरान उसने आहत की बायीं जांघ में कोई अस्थिभंग नहीं पाया था। उसकी रिपोर्ट प्र०पी० 5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

18. डॉ० आदित्य श्रीवास्तव अ०सा० 7 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 25.05.13 को आहत पप्पू को जयारोग्य अस्पताल ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया था। प्राथमिक उपचार के पश्चात मरीज का सीटी स्कैन कराया था। तो यह पाया गया था कि मरीज के सिर में बायीं पैराईटल बोन में अस्थिभंग था एवं रक्त स्त्राव था। उक्त संबंध में उसके द्वारा आहत की मेडिकल रिपोर्ट एवं दस्तावेज तैयार किए गए थे जो प्र०पी० 7, है जिसके प्रथम पृष्ठ पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त प्रकरण की केस शीट डॉ० सुमित द्वारा की गई थी। डॉ० सुमित के द्वारा पप्पू का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट तैयार किया गया था जो प्र०पी० 8 है, जिसके ए से ए भाग पर डॉ० सुमित के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह पहचानता है।

19. नायक सिंह भदौरिया अ०सा० 8 द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है।

20. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। फरियादी, आहत एवं साक्षीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। अभियोजन द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रकरण में गवाह नहीं बनाया गया है। आहत के कथनों की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी नहीं हो रही है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना सकता है।

21. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा सर्वप्रथम यह तर्क किया गया है कि प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित फरियादी आहत एवं साक्षीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। अभियोजन द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रकरण में गवाह नहीं बनाया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है। यह सत्य है कि प्रकरण में फरियादी फेरन सिंह, आहत पप्पू एवं साक्षी तिलक सिंह सोनाबाई एवं ज्योति एक ही परिवार के सदस्य हैं। अभियोजन द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है। परंतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आहत के कथनों की स्वतंत्र साक्षियों से संपुष्टि का जो नियम है, वह विधि का न होकर प्रज्ञा का है। यदि फरियादी एवं आहत के कथन अपने परीक्षण के दौरान तात्त्विक विसंगतियों से परे रहे हों तो मात्र इस आधार पर फरियादी एवं आहत के कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है कि उनके कथनों की पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं की गई है। अब देखना यह है कि क्या प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी एवं आहत के कथन इतने विश्वसनीय हैं, जिसके आधार पर आरोपीगण को दोषारोपित किया जा सकता है।

22. यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन कहानी के अनुसार प्रकरण में आहत पप्पू है एवं घटना की रिपोर्ट फरियादी फेरन सिंह द्वारा की गई है। फरियादी फेरन सिंह अ०सा० 1 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि घटनावाले दिन रात्रि लगभग 9 बजे वह अपने घर पर था तो उसका भतीजा तिलकसिंह उसे बुलाने आया था फिर उसने जाकर पप्पू को उठाया था। प्रदीप, लक्ष्मण एवं पुरुषोत्तम के लड़के ने पप्पू की लाठियों से मारपीट की थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह

स्वीकार किया है कि वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। उसे तो लड़का बुलाकर लेगया था एवं यह भी स्वीकार किया है उसे पप्पू ने घटना के बारे में नहीं बताया था। इस प्रकार फरियादी फेरन सिंह अ0सा0 1 के कथनों से यह दर्शित है कि वह झगड़े के समय घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। उसने आरोपीगण को मारपीट करते हुए नहीं देखा था।

23. साक्षी तिलक सिंह अ0सा0 2 ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपीगण द्वारा उसके पिता पप्पू की लाठियों से मारपीट करना बताया है परंतु प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि लड़ाई के समय वह घर के अंदर था उसने नहीं देखा था कि किसने किसको मारा था। जब वह आया था तब उसने पिता को बेहोश पड़े हुए देखा था। इस प्रकार तिलक सिंह अ0सा0 2 के उक्त कथन से भी यही प्रकट होता है कि तिलकसिंह अ0सा0 2 ने भी आरोपीगण को पप्पू की मारपीट करते हुए नहीं देखा था।

24. सोनाबाई अ0सा0 4 जो कि आहत पप्पू की पत्नी है ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि घटना वाले दिन आरोपीगण ने उसके पति पप्पू की लाठियों से मारपीट की थी। उस समय वह अंदर रोटी बना रही थी, जब तक वह आई थी तब तक आरोपीगण भाग चुके थे। इस प्रकार सोनाबाई अ0सा0 4 के उक्त कथन से भी यही प्रकट होता है कि सोनाबाई अ0सा0 4 ने भी आरोपीगण को मारपीट करते हुए नहीं देखा था उक्त साक्षी ने आरोपीगण को घटना स्थल पर भी नहीं देखा था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सोनाबाई अ0सा0 4 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना के दौरान वह घर के अंदर रोटी बना रही थी, परंतु इस तथ्य का उल्लेख उक्त साक्षी के पुलिस कथन में नहीं है। साक्षी सोनाबाई के पुलिस कथन के अनुसार घटना के समय वह अपने मायके शादी में गई थी। एवं उसे घटना के दूसरे दिन तिलकसिंह एवं ज्योति ने घटना की खबर दी थी, जबकि साक्षी सोना बाई अ0सा0 4 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि वह घटना के समय घर के अंदर खाना बना रही थी इसप्रकार उक्त बिंदु पर सोनाबाई अ0सा0 4 के कथन उसके पुलिस कथन से भी विरोधाभासी रहे हैं इसके अतिरिक्त सोना बाई अ0सा0 4 ने अपने कथन में घटना के वक्त घर के अंदर खाना बनाना बताया है जबकि तिलकसिंह अ0सा0 2 द्वारा यह स्वीकार किया है कि घटनावाले दिन उसकी मां घर पर नहीं थी इस प्रकार उक्त बिंदु पर सोनाबाई अ0सा0 4 के कथन तिलकसिंह अ0सा0 2 के कथन से भी विरोधाभासी रहे हैं।

25. साक्षी ज्योति अ0सा0 6 ने अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपीगण द्वारा पप्पू की लाठियों से मारपीट करना बताया है, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि झगड़े के वक्त वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं थी एवं वह घर के अंदर थी। इसप्रकार ज्योति अ0सा0 6 के कथन से भी यह दर्शित है कि उक्त साक्षी भी घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। उक्त साक्षी ने भी आरोपीगण को मारपीट करते हुए नहीं देखा था।

26. जहां तक आहत पप्पू अ0सा0 3 के कथन का प्रश्न है तो आहत पप्पू अ0सा0 3 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन रात्रि लगभग 10 बजे वह अपने दरवाजे पर लेटने आ रहा था तो तीनों आरोपीगण उसकी लाठियों से मारपीट करने लगे, जिससे उसके सिर में चोट आई थी फिर उसका बच्चा उसके भाई को बुलाने गया था। उसका भाई उसे उठाकर थाने ले जा रहा था तो आरोपीगण ने उसे रास्ते में घेर लिया फिर वह 10 बजे रिपोर्ट करने गया था। रिपोर्ट के बाद दवाई के लिए गोहद अस्पताल गयाथा। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि घटना के समय उसके बच्चे किरन व ज्योति वहीं मौजूद थे। घटना की रिपोर्ट उसने की थी पुलिस ने रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर कराए थे।

27. इस प्रकार पप्पू कुशवाह अ0सा0 3 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना के समय

उसके बच्चे किरन एवं ज्योति मौके पर मौजूद थे, परंतु ज्योति अ0सा0 6 का कहना है कि झगड़े के समय वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं थी। इसप्रकार उक्त बिंदु पर पप्पू अ0सा0 3 के कथन ज्योति अ0सा0 6 के कथन से परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। पप्पू कुशवाह अ0सा0 3 ने अपने कथन में यह भी बताया है कि घटना के वक्त उसका बच्चा उसके भाई को बुलाने गया था फिर उसका भाई उसे रिपोर्ट कराने ले जा रहा था तो आरोपीगण ने उसे रास्ते में घेर लिया था जबकि फेरनसिंह अ0सा0 1 का कहना है कि रात्रि के समय वह न तो पप्पू को इलाज के लिए ले गया था और न ही वह लोग रिपोर्ट लिखाने गए थे। इस प्रकार आहत पप्पू कुशवाह अ0सा0 3 द्वारा यह बताया गया है कि फेरन उसे रात में ही रिपोर्ट कराने के लिए जा रहा था जबकि फेरन अ0सा0 1 का कहना है कि वह रात में रिपोर्ट कराने के लिए नहीं ले गया था। इसप्रकार उक्त बिंदु पर भी आहत पप्पू अ0सा0 3 के कथन फेरनसिंह अ0सा0 1 के कथन से परस्पर विरोधाभासी रहे हैं जो आहत पप्पू अ0सा0 3 के कथनों को संदेहास्पद बना देते हैं।

28. पप्पू कुशवाह अ0सा0 3 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि घटना की रिपोर्ट उसने की थी एवं पुलिस ने रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर भी कराए थे परंतु प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से दर्शित है कि उक्त रिपोर्ट फरियादी फेरन सिंह द्वारा लेखबद्ध कराई गई है। प्र0पी0 01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट आहत पप्पू द्वारा नहीं लिखाई गई और न ही प्र0पी0 1 की रिपोर्ट पर आहत पप्पू के हस्ताक्षर हैं। यह तथ्य भी आहत पप्पू अ0सा0 3 के कथनों को संदेहास्पद बना देता है।

29. आहत पप्पू अ0सा0 3 ने अपने कथन में यह बताया है कि आरोपीगण ने उसकी मारपीट रात्रि लगभग 10 बजे की थी तथा उसने घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन सुबह 10 बजे थाने पर की थी। फरियादी फेरन सिंह अ0सा0 1 ने भी रात्रि 10 बजे घटना कारित होना एवं दूसरे दिन सुबह 9-10 बजे घटना की रिपोर्ट थाने पर करना बताया है। डॉ0 धीरज गुप्ता अ0सा0 5 जिसके द्वारा आहत पप्पू का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है ने अपने कथन में यह बताया है कि आहत को बोलने में परेशानी हो रही थी इसलिए उसने आहत को ग्वालियर रेफर किया था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आहत पप्पू को आई चोटें उसकी परीक्षण अवधि के पूर्व 6 घण्टे के अंदर की थीं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनांक 22.05.13 की रात्रि 10 बजे की है एवं फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाने पर दिनांक 23.05.13 को सुबह 06:30 बजे की गई है। प्र0पी0 4 की चिकित्सीय रिपोर्ट से यह दर्शित है कि आहत पप्पू का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 23.05.13 को सुबह साढ़े 9 बजे किया गया है तथा डॉ0 धीरज गुप्ता ने यह भी व्यक्त किया गया है कि आहत पप्पू को आई चोट उसके परीक्षण अवधि के पूर्व 06 घण्टे के अंदर की थी। प्र0पी0 4 की चिकित्सीय रिपोर्ट के अनुसार आहत पप्पू को आई चोटें 6 घण्टे के अंदर अर्थात् रात्रि लगभग 03:30 बजे कारित हुई थीं, जबकि प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना के अनुसार घटना दिनांक 22.05.13 की रात्रि लगभग 10 बजे की है। आहत पप्पू अ0सा0 3 ने भी घटना रात्रि लगभग 10 बजे होना बताया है। आहत पप्पू अ0सा0 3 के कथनानुसार आरोपीगण ने उसकी मारपीट दिनांक 22.05.13 को रात्रि 10 बजे की थी एवं उसे रात्रि 10 बजे चोटें कारित हुई थीं परंतु प्र0पी0 4 की चिकित्सीय रिपोर्ट के अनुसार आहत पप्पू को आई चोटें दिनांक 23.05.13 को प्रातः लगभग 03:30 बजे कारित हुई थीं। प्र0पी0 4 की चिकित्सीय रिपोर्ट के अनुसार आहत पप्पू को आई चोटें रात्रि 10 बजे कारित नहीं हुई थीं। जबकि आहत पप्पू अ0सा0 3 के कथनानुसार आरोपीगण ने उसकी मारपीट रात्रि 10 बजे की थी जिससे उसके यहां चोटें आई थीं। इसप्रकार इस बिंदु पर आहत पप्पू अ0सा0 3 के कथन प्र0पी0 4 की चिकित्सीय रिपोर्ट से पुष्ट नहीं रहे हैं। चिकित्सीय रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनांक को रात्रि 10 बजे आहत पप्पू को प्र0पी0 4 की रिपोर्ट में वर्णित चोटें कारित नहीं हुई थीं। आहत पप्पू अ0सा0 3 के कथन की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में यह ही संदेहास्पद हो जाता है कि आहत पप्पू को आई चोटें आरोपीगण द्वारा कारित की गई थीं। उक्त

तथ्य अत्यंत तात्विक है जो संपूर्ण अभियोजन कहानी को ही संदेहास्पद बना देता है।

30. उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी फेरन सिंह अ0सा0 1 तिलकसिंह अ0सा0 2 सोना बाई अ0सा0 4 एवं ज्योति अ0सा0 6 घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं उक्त साक्षीगण ने आरोपीगण को आहत पप्पू की मारपीट करते हुए नहीं देखा है। आहत पप्पू अ0सा0 3 के कथन ज्योति अ0सा0 6 एवं फरियादी फेरन सिंह अ0सा0 1 के कथन से भी विरोधाभासी रहे हैं। आहत पप्पू अ0सा0 3 के कथन की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में जबकि आहत के कथन की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी नहीं हो रही है एवं घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी नहीं है आहत पप्पू अ0सा0 3 की एकल असंपुष्ट साक्ष्य के आधार पर अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं ठहराया जा सकता है।

31. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता हैं अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित है।

32. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 22.05.13 को रात्रि करीबन 10 बजे पप्पू काछी के घर के बाहर ग्राम मनोहर पुरा में आहत पप्पू की लाठी से मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भा0द0सं0 की धारा 325 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

33. समग्र अवलोकन से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 22.05.13 को रात्रि करीबन 10 बजे पप्पू काछी के घर के बाहर ग्राम मनोहरपुरा में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी फेरन एवं आहत पप्पू को मां-बहन की अश्लील गालियां देकर उन्हें व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, फरियादी फेरन एवं आहत पप्पू को जान से मारने की धमकी देकर उन्हें आपराधिक अभित्रास कारित किया, फरियादी फेरन एवं आहत पप्पू को उनकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर उनका सदोष अवरोध कारित किया एवं उसी समय आहत पप्पू की लाठी से मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी प्रदीप सिंह, लक्ष्मण सिंह एवं गोबिन्द सिंह को संदेह का लाभ देते हुए उन्हें भा0द0सं0 की धारा 294, 506 भाग-2, 341 एवं 325 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

34. आरोपीगण पूर्व से जमानत है उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

35. प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद

दिनांक –17.04.2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी